न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–230/2020/225 आर.टी.एक्ट (2020/00230)

1. स्व0 श्री लाडू पुत्र स्व0 श्री राजू जरिए वारिसानः–
   1/1 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाडू उम्र 37 वर्ष
   1/2 रंजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री लाडू उम्र 35 वर्ष
   1/3 देवी सिंह पुत्र स्व0 श्री लाडू उम्र 33 वर्ष
   1/4 रूप सिंह पुत्र स्व0 श्री लाडू उम्र 31 वर्ष
   1/5 श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व0 श्री लाडू उम्र 62 वर्ष
   क्र.सं. 1/1–1/5 जातिगण रावत निवासीगण ग्राम बालूपुरा तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गीता पत्नी श्री बीरम सिंह पुत्री स्व0 श्री मेवा सिंह रावत, जाति रावत निवासी ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्रीमती गुला पत्नी श्री बिरदा सिंह पुत्री स्व0 मेवा सिंह रावत, जाति रावत निवासी नाडलो का बास, भवानी खेड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. श्री कालू सिंह पुत्र स्व0 श्री राजू जाति रावत निवासी ग्राम बालूपुरा तहसील व जिला अजमेर।
4. श्री गुलाबचंद पुत्र श्री बाबूलाल जाति रेगर निवासी तिरूपति कैम्पर के पीछे बालूपुरा रोड़, आदर्श नगर अजमेर।
5. स्व0 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री बाबूलाल जाति रेगर, निवासी गोबरिया बावड़ी कायनात होटल के पास सुभाष नगर कोटा
   5/1 श्रीमती तीजा पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा जाति रेगर, निवासी गोबरिया बावड़ी, कायनात होटल के पास, सुभाष नगर, कोटा
   5/2 जीतू बैरवा पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा जाति रेगर, निवासी गोबरिया बावड़ी, कायनात होटल के पास, सुभाष नगर, कोटा
   5/3 कुमारी ऊषा बैरवा पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा जाति रेगर, निवासी गोबरिया बावड़ी, कायनात होटल के पास, सुभाष नगर, कोटा।
   5/4 कुमारी निशा बैरवा पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा जाति रेगर, निवासी गोबरिया बावड़ी, कायनात होटल के पास, सुभाष नगर, कोटा।
6. श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति रेगर निवासी तिरूपति कैम्पर के पीछे बालूपुरा रोड आदर्श नगर, अजमेर।
7. स्व0 शंकरराम रामस्नेही पुत्र स्व0 सुवालाल
   7/1 श्रीमती मैना जैलिया पत्नी स्व0 श्री शंकरराम रामस्नेही
   7/2 संजय जैलिया पुत्र स्व0 श्री शंकरराम रामस्नेही
   7/3 श्रीमती चन्द्रकला उर्फ सुनीता पत्नी श्री घीसा पुत्री स्व0 श्री शंकरराम रामस्नेही समस्त जातिगण रेगर निवासीगण तिरूपति कैम्पर के पीछे, बालूपुरा रोड़ आदर्श नगर अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर

असल रेस्पोडेंटस

9. श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 श्री राजू जाति रावत निवासी ग्राम बालूपुरा तहसील व जिला अजमेर।
10. श्रीमती मीरा पत्नी स्व0 भीम सिंह
11. श्रीमती ममता पत्नी श्री ईश्वर सिंह पुत्री स्व0 श्री भीम सिंह निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
12. श्रीमती अनिता पत्नी श्री सोहन सिंह पुत्री श्री भीम सिंह निवासी ग्राम कानाखेड़ी तहसील श्रीनगर जिला अजमेर।
13. श्रीमती सुमन पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्री स्व श्री भीम सिंह निवासी भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
14. राकेश पुत्र स्व0 श्री भीम सिंह

क्र.सं. 11 लगायत 14 जरिए नैर्सगिक संरक्षक माता श्रीमती मीरा पत्नी स्व0 भीम सिंह, समस्त जातिगण रावत, निवासीगण ग्राम बालूपुरा तहसील व जिला अजमेर।

परर्फोमा रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.12.2019 राजस्व वाद संख्या 61/2015

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार गौड़, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री महेन्द्र रावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री राजेश सक्सेना, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2.
4. श्री महेन्द्र चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4.
5. श्री फिरोज खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7/2.
6. श्री गिरीश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9, 10, 14.
7. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 8.
8. रेस्पोडेंट संख्या 3, 5/1 से 5/4, 6, 7/1, 7/3 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–06.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 61/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 61/2015 के अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिनांक 21.7.2016 को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. को दिनांक 11.12.2019 को स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 61/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5/1 से 5/4, 6, 7/1, 7/3 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि स्व0 श्री लाडू करीबन 2 माह से बीमार चल रहे थे और उसके बाद उनका निधन हो गया दिनांक 9.11.2020 को अप्रार्थीगण संख्या 4 व 6 व उनके मिलने वाले विवादित भूमि पर खड़े होकर नींव खुदवा रहे थे, इस पर रूप सिंह व अर्जुन सिंह को जानकारी होने पर मौके पर जाकर काम रोकने के लिए कहा तो वे लड़ाई करने पर आमादा हो गए कहने लगे कि तुम्हारा मुकदमा तो खारिज हो गया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.11.2020 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थीगण को दिनांक 17.11.2020 को प्राप्त हुआ उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि मुकदमा खारिज हो गया है। स्व0 श्री लाडू के निधन के पश्चात कोविड–19 का प्रकोप दिन प्रतिदित बढ़ने लगा था जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। प्रार्थीगण नकल प्राप्त करने के पश्चात स्व0 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा के वारिसान की जानकारी कोटा जाकर की तथा अप्रार्थी स्व0 श्री शंकरराम की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उसके वारिसान की जानकारी करने के तुरंत बाद ही ये प्रार्थना पत्र मय अपील प्रस्तुत कर रहे है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण उपरोक्त आदेशित दिनांक 11.12.2019 मयाद प्रार्थना पत्र के साथ बहस प्रार्थना पत्र में पढ़ाना चाहते है ,जिससे मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की मंशा पूरी हो सके। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को पढे जाने के आदेश प्रदान करावे। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 स्व0 श्री लाडू जो कि मूल वाद में वादी संख्या 1 है का निधन दिनांक 26.1.2020 को हो गया था, इस कारण स्व0 लाडू की ओर से उसके वारिसान को पक्षकार बनाकर उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा प्रत्यर्थी संख्या 7 श्री शंकरराम रामस्नेही का निधन हो चुका है, इस कारण उसके वारिसान को पक्षकार बनाकर उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा के निधन की जानकारी नही थी क्योंकि स्व0 श्री महेन्द्र कुमार बैरवा कोटा मे निवास करता था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध बंटवारे से संबंधित वाद पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर नहीं किया व निर्णय पारित कर दिया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बैनामे में प्रत्यर्थी संख्या 4 लगायत 7 द्वारा उपरोक्त विवादित जमीन खरीदना बताया है। प्रत्यर्थी संख्या 4, 6 व 7 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी संख्य 5 महेन्द्र कुमार बैरवा की मृत्यु होना बताया है इस प्रकार अगर मुकदमे का उपसमन होता है तो प्रत्यर्थी संख्या 5 की समीमा तक होता है शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर नहीं किया व निर्णय पारित कर दिया। महेन्द्र कुमार बैरवा की मृत्यु कि जानकारी होने पर अपीलार्थीगण की ओर से आदेश 22 नियम 10 सपठित धारा 151 के तहत दिनांक 27.4.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रत्यर्थीगण संख्या 4, 6 व 7 से मृतक महेन्द्र कुमार बैरवा के वारिसान की जानकारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। मृतक प्रतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई चाराजोही नहीं की है इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी अपने उक्त राजस्व वाद बाबत संवेदनशील नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर नहीं किया व निर्णय पारित कर दिया। प्रत्यर्थीगण संख्या 4, 6, व 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 में वाद पत्र नामंजूर किए जाने के संदर्भ में चाहा गया अनुतोष उपरोक्त आदेश के नियम 11 के क, ख, ग, घ के श्रेणी में नहीं आते हैं उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर नहीं किया बावजूद इसके आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों को पेश किया है– आर0एल0डब्ल्यू 2011(1) आर0जे0 477, आर0एल0डब्ल्यू 2013(2) आर0जे0 788, आर0एल0डब्ल्यू 2018(2), 2022(1)डी0एन0जे0, 2019 डी0एन0जे0 पेज 177, 2019 डी0एन0जे0 पेज 181, आर0एल0डब्ल्यू 2017(2).

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट 1, 4 व 7/2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट ने यह अपील लगभग 01 वर्ष भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 व 7/2 ने तत्पश्चात दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति रेगर निवासी आदर्श नगर अजमेर का निधन वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद प्रसतुती से पूर्व दिनांक 4.3.2013 को हो

चुका है तथा वादी ने उक्त वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश कर न्यायालय से मृतक व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय से दादरसी चाही है जो कि न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार की दादरसी दिया जाना न्यायोचित नहीं है। वादी ने उक्त वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जब कि महेन्द्र कुमार का निधन वाद से पूर्व ही दिनांक 4.3.2013 को हो चुका है। तथा वादी ने जानबूझकर उक्त वाद में मृतक महेन्द्र कुमार को पक्षकार मुर्तिव किया है तथा न्यायालय मृतक व्यक्ति के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं कर सकता है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में वाद अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. को विधि सम्मत स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलांटस को थी फिर भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र में मियाद बाहर के कारण संतोषप्रद एवं सद्भाविक नही हैं। इसलिए अपील मियाद अधिनियम पर खारिज की जावे।

9. हमने विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक है। प्रकरण को निस्तारण गुणागुण पर किया जाना चाहिए ऐसा मान्नीय उच्चतर न्यायालय ने अपने अनेक निर्णय में प्रतिपादित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थीगण/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

10. प्रकरण पर गुणावगुण पर पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने वाद अंतर्गत धारा 53,88, 188 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के दिनांक 3.2.2015 को प्रस्तुत किया है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगणसंख्या 4, 6 व 7 ने दिनांक 21.7.2016 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार के विरूद्ध भी पेश किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार का वाद प्रस्तुति से पूर्व दिनांक 4.3.2013 को देहांत हो चुका है । अतः वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश किये जाने से खारिज किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेसपो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का संपूर्ण वाद निर्णय दिनांक 11.12.2019 को खारिज किया है । इस संबंध में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का अवलोकन किया गया जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि:–

आदेश 7 नियम 11– वादपत्र का नामंजूर किया जाना–वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाऐगा–

(क)जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

(ख)जहां दावाकुत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड)जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

(च)जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

(छ) जहां वादी नियम 9 (3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

11. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के किस नियम के तहत विधि द्वारा वर्जित है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित होने पर ही खारिज किया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2013 राज0 पेज 788 पूर्ण रूप से चस्पा होता है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:– "सि.प्र.सं. आदेश 7 नियम 11–वाद खारिज होनाःआदेश 7 नियम 11 की व्याप्ति अभिनिर्धारित–आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद केवल वही खारिज किया जा सकता है जहां वाद पत्र के अन्तर्विष्टों से यह स्पष्ट होता है कि वाद किसी विधि से वर्जित हो।" प्रस्तुत प्रकरण में वाद किस विधि से वर्जित है परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है।

12. हस्तगत प्रकरण खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ–साथ धारा 53 के तहत भी पेश किया गया है । वाद में प्रतिवादी संख्या 5 के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण भी है जिनके विरूद्ध भी वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है । ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 5 मृतक महेन्द्र कुमार के विरूद्ध पेश किये जाने के आधार संपूर्ण वाद को निरस्त नहीं किया जा सकता था । परीक्षण न्यायालय ज्यादा से ज्यादा प्रतिवादी संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मृतक महेन्द्र कुमार के हक हिस्से तक वाद को अबेट कर सकते थे। वैसे भी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में अबेटमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार डी0एन0जे0 2022 (1) रेवेन्यू पेज 30 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:– " Civil Procedure Code, 1908-Order 7 Rule 11-Application dismissed to reject the suit-Suit for partition of the lands-From the facts made in the plaint, no case is made out for rejecting the suit-Evidence is necessary for disposal of the suit-Petitioners/defendants can raise the objections trial-Held, No illegality in the order. "

13. परीक्षण न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत तथा प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज कर वादीगण का संपूर्ण वाद विधि वर्जित मानकर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है ।

14. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 4, 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 निरस्त कियाजाता है तथा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे मृतक प्रतिवादी संख्या 5 महेन्द्र कुमार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर वाद में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई करते हुए गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर